

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/ 208

दिनांक 24/4/19

-: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2015-16 व 2017-18 मे चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

| क्र.स. | नाम अधिकारी | जन्मतिथि | नियुक्ति तिथि | चि अ के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि | नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि |
|--------|----------------------|------------|---------------|---|-------------------------------|
| 1 | डॉ. मनोज मीणा | 17.11.1987 | 27.07.2017 | 26.07.2018 | 27.07.2018 |
| 2 | डॉ. क्षमेन्द्र शर्मा | 16.06.1988 | 03.10.2017 | 02.10.2018 | 03.10.2018 |
| 3 | डॉ. अकिंत कुमार गर्ग | 30.11.1993 | 24.03.2018 | 23.03.2019 | 24.03.2019 |
| 4 | डॉ. अशोक कुमार शर्मा | 08.11.1992 | 29.09.2017 | 28.09.2018 | 29.09.2018 |
| 5 | डॉ. नरेश भगोरा | 20.12.1991 | 26.07.2017 | 25.07.2018 | 26.07.2018 |
| 6 | डॉ. आशीष उकावत | 15.07.1985 | 09.10.2017 | 08.10.2018 | 09.10.2018 |
| 7 | डॉ. अभिषेक बाबू | 17.06.1990 | 28.07.2017 | 09.08.2018 (43 EOL) | 10.08.2018 |
| 8 | डॉ. तरुण चौहान | 29.07.1982 | 27.07.2017 | 27.08.2018 (62 EOL) | 28.07.2018 |
| 9 | डॉ. दीपक कुमार | 20.09.1986 | 03.06.2016 | 11.08.2017 (100 EOL) | 12.08.2017 |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर


कृ. प. उ.

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/ 208

दिनांक 24/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

24/4/19